(170)

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांकः—प.3(54)नविवि/3/2011--पार्ट   जयपुर, दिनांक 2 5 MAY 2015

परिपत्र

निजी खातेदारी एवं गृह निर्माण सहकारी समितियों की योजनाओं के ले—आउट प्लान में अनुमोदित माप एवं मौके पर भूखण्ड ले—आउट प्लान की माप में अन्तर होने की स्थिति में नियमन पट्टा जारी करने के संबंध में निम्नलिखित निर्देश एतद्द्वारा प्रदान किये जाते हैः—

1. पूर्व में प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान जारी निर्देशों के समान किसी भूखण्ड के बढ़े हुए 10 प्रतिशत क्षेत्रफल के लिये सामान्य नियमन दर पर एवं 10 से 25 प्रतिशत अधिक क्षेत्रफल के लिए 25 प्रतिशत अधिक राशि लेकर नियमन किया जावें।
2. परन्तु किसी भी योजना में ले—आउट प्लान में अनुमोदित क्षेत्रफल से कुल अधिक क्षेत्रफल आने की स्थिति में योजना का ले—आउट प्लान पुनः अनुमोदित किया जावे अर्थात् किसी भी योजना में ले—आउट प्लान में दर्शाये गये कुल क्षेत्रफल से अधिक क्षेत्रफल का नियमन नहीं किया जावें।

राज्यपाल की आज्ञा से,

25/5/15

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संयुक्त शासन सचिव—तृतीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. सचिव, अजमेर/जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण, अजमेर/जयपुर/जोधपुर।
4. सचिव, नगर विकास न्यास (समस्त)।
5. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
6. संयुक्त शासन सचिव (प्रथम/द्वितीय)/उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग।
7. वरिष्ठ नगर नियोजक, नगरीय विकास विभाग।
8. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव—तृतीय